न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/279

1. श्रीमती मेवा बाई आयु वयस्क पत्नी श्री धन्ना लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. पुरूषोत्तम
3. जगत प्रसाद आयु वयस्क पिसरान श्री धन्ना लाल जातियान ब्राह्मण निवासीगण ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्र आत्मज मांग्या जाति माली निवासी ग्राम हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. हीरा आत्मज बजरंगा जाति माली निवासी हरमाली का खेडा हाल निवासी गिरधरपुरा वार्ड नं0 01 तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   2/1. धन्ना लाल
   2/2. मोहन लाल पिसरान हीरालाल जाति माली निवासीगण वार्ड नं0 01 गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/3. नाथी बाई पुत्री हीरा पत्नी रामप्रताप जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/4. श्रीमती नरूका बाई विधवा हीरालाल जाति माली निवसी गिरधरपुरा वार्ड नं0 01 तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रामप्रसाद आत्मज भूरा जाति माली निवासी वार्ड नं0 31 थेकडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. नाथूलाल आत्मज भूरा जाति माली निवासी थेकडा वार्ड नं0 31 तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. किशन लाल आत्मज भूरा जाति माली निवासी रायपुरा वार्ड नं0 39 तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. छोटी बाई पुत्री भूरा जाति माली निवासी थेकडा वार्ड नं0 31 तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. उप पंजीयक, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रेम शंकर गुर्जर, श्री कैलाश चन्द्र नामाधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली की आराजी कुल रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मु0 अटल सेवा केन्द्र सावंतबढ में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति वाले प्रकरणों को ही निर्णित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जबकि राजस्व मण्डल व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा– निर्देशों व नोटिफिकेशन की पूर्णतया अवहेलना करते हुए लोक अदालत की भावना से विपरीत जाकर पक्षकारों को अनावश्यक कानूनी पेचिदिगियों में उलझाते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद प्रतिवादी कम 2 हीरा का देहान्त हो जाने से उसके कायममुकामान बनाये जाने के लिए नियत चली आ रही थी । अधीनस्थ न्यायालय ने द्वारा मृतक के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश भी पारित नहीं हुआ उससे पहले ही उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । अपीलान्ट आपत्ति प्रस्तुत करेगा इसी शर्त पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जा सकता है ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था । प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रकरण को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को यदि कोई आपत्ति है तो आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 20.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा